(13)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3529—तीन/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 20—06—2014 के द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार जावर, जिला—सीहोर के प्रकरण क्रमांक 39/अ—12/2013—14/पुनरीक्षण

.....

1— दलेपसिंह आ0 प्रहलाद सिंह
2— रतनसिंह आ0 प्रहलाद सिंह
3— भेरूसिंह आ0 प्रहलाद सिंह
निवासीगण— ग्राम ईस्माईल खेड़ी, कृषक ग्राम
भानाखेड़ी तहसील जावर, जिला — सीहोर,(म0प्र0)

.....आवेदकगण

विरूद्ध

चेतन सिंह आ0 श्री गणपत सिंह
निवासी— ग्राम ईस्माईलखेड़ी,
तहसील जावर जिला — सीहोर,(म0प्र0)

..... अनावेदक

.....

श्री प्रेमसिंह ठाकुर, अभिभाषक, आवेदकगण
अनावेदक पूर्व से एक पक्षीय है

.....

आदेश

(आज दिनांक 25.10 .2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय नायब तहसीलदार जावर, जिला—सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20—06—2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि ग्राम भानाखेड़ी स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक 16/2, रकबा 0.240 है0 लगान 1.63 रुपये भूमि खसरा क्रमांक 18/1, 25 रकबा 0.793 है0 लगान 3.03 रुपये भूमि खसरा क्रमांक 19—20/1, रकबा 0.736 है0 लगान 3.03 रुपये, भूमि आवेदक व अनावेदक के नाम से राजस्व पत्रों में दर्ज है । जिसका सीमांकन कराये जाने हेतु तहसील

न्यायालय जावर के समक्ष सीमांकन आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया गया । जिसके आधार पर उक्त कृषि भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु नायब तहसीलदार जावर द्वारा प्रकरण क्रमांक 39/अ—12/2013—14/पुनरीक्षण दर्ज किया गया तथा पारित आदेश दिनांक 20.06.2014 सीमांकन किये जाने का आदेश दिया गया ।

अनावेदकगण की भूमि खसरा क्रमांक 17—22/1, 20/2, 24 कुल किता 03, कुल रकबा 6.97 एकड़ की भूमि राजस्व अभिलेख में अनावेदक का नाम दर्ज है एवं अनावेदक उक्त कृषि भूमि के रिकार्डेट भूमिस्वामी है। उक्त कृषि भूमि के भाग पर आवेदकगण का अवैधानिक रूप से कब्जा दर्शाया गया है जबकि उक्त कृषि भूमि पर कई वर्षों से आवेदकगण का कब्जा व मालिक है एवं मौके पर सीमांकन नहीं किया गया है। किन्तु आवेदक/अनावेदक की कृषि भूमि का सीमांकन दिनांक 14.06.2014 को राजस्व निरीक्षक मण्डल 1 तहसील जावर द्वारा सीमांकन किया जाना उल्लेखित किया है। जिसकी जानकारी आवेदकगण को नहीं थी। अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 250 के तहत अधीनस्थ न्यायालया में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसकी तामील आवेदकगण को प्राप्त होने पर उक्त सीमांकन दिनांक 14.06.2014 एवं आदेश दिनांक 20.06.2014 की जानकारी हुई । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर सीमांकन किये बगैर फिल्ड बुक पंचानामा प्रतिवेदन तैयार किया है । सीमांकन के संबंध में आवेदकगण को सूचना दिये बगैर निगराधीन आदेश पारित किया गया है । सीमांकन संबंधी त तो निशानात कायम किये है और न ही दिशायें समझाई है एवं मात्र अनावेदक को लाभ पहुॅचाने की नियम से उक्त सीमांकन दस्तावेज तैयार किये है । मौके पर सीमांकन किये बगैर आवेदकगण की भूमि खसरा क्रमांक 19—20/1 रकबा 1.32 एकड़ अंश भाग 0.25 एकड़ पर आवेदकगण का उत्तर पश्चिम दिशा की ओर कब्जा होना दर्शित है जो कि असत्य है । सीमांकन प्रकरण में अपनाई गई सम्पूर्ण कार्यवाही त्रुटिपूर्ण एवं प्रक्रिया विधि के विपरीत होने से निरस्तीय योग्य है एवं भूमि खसरा क्रमांक 17—22/1, 20/2, 24 कुल किता रकबा 6.97 एकड़ के आवेदकगण रिकॉर्डेट भूमिस्वामी है। जिसके भाग पर अनावेदक का कब्जा दर्शाया गया है । उक्त सीमांकन विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का भली भांति परिशीलन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह पाया गया कि ग्राम भानाखेड़ी स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक 16/2, रकबा 0.240 है0 लगान 1.63 रुपये भूमि खसरा क्रमांक 18/1, 25 रकबा 0.793 है0 लगान 3.03 रुपये भूमि खसरा क्रमांक 19—20/1, रकबा 0.736 है0 लगान 3.03 रुपये, भूमि आवेदक व अनावेदक के नाम से राजस्व पत्रों में दर्ज है । जिसका सीमांकन कराये जाने हेतु तहसील न्यायालय जावर के समक्ष सीमांकन आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया गया । आवेदकगण के अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि अनावेदकगण की भूमि खसरा क्रमांक 17—22/1, 20/2, 24 कुल किता 03, कुल रकबा 6.97 एकड़ की भूमि राजस्व अभिलेख में अनावेदक का नाम दर्ज है एवं अनावेदक उक्त कृषि भूमि के रिकार्डेट भूमिस्वामी है। उक्त कृषि भूमि के भाग पर आवेदकगण का अवैधानिक रूप से कब्जा दर्शाया गया है जबकि उक्त कृषि भूमि पर कई वर्षों से आवेदकगण का कब्जा व मालिक है एवं मौके पर सीमांकन नहीं किया गया है। किन्तु आवेदक/अनावेदक की कृषि भूमि का सीमांकन दिनांक 14.06.2014 को राजस्व निरीक्षक मण्डल 1 तहसील जावर द्वारा सीमांकन किया जाना उल्लेखित किया है। आवेदकगण के अभिभाषक ने यह तर्क दिया है कि उसे सूचना दिये बगैर ही आदेश पारित किया गया है । उक्त तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है। क्योंकि आवेदित भूमि का सीमांकन स्वयं आवेदक, मेंढ़ पड़ोसी कृषकगण, ग्राम पटेल(वसूली), ग्राम कोटवार की उपस्थिति में विधिवत किया गया, जिसका स्थल पंचनामा, प्रतिवेदन फील्डबुक व अक्स प्रकरण में संलग्न है। इसी आधार पर नायब तहसीलदार जावर ने आदेश पारित किया है, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को त्रुटिपूर्ण नहीं माना जा सकता ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार जावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.2014 विधिसंगत होने से यथावत रखा जाता है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर